आय की मान्यता, संपत्ति का वर्गीकरण और एडवान्सीस से संबंधित प्रावधानों पर दूरदर्शी मानकों पर आर.बी.आई. परिपत्र अनुसार का विवरण - वर्गीकरण (आरबीआई/२०२१-२०२२/१२५ डीओआर एसटीआर आरईसी ७८/२१.०४.०४८/२०२१-२२), १२ नवम्बर, २०२१ :

- **ओवरड्यु / डेलीक्वन्ट / स्ट्रेस अकाउन्ट्स :**

ग्राहकों ने रीपेमेन्ट अनुसूचि (लोन एग्रीमेन्ट का हिस्सा) में उल्लेख किए अनुसार की निर्धारित दिनांक पर प्राप्त की हुई लोन्स के लिए इक्वीटेड (समान) मासिक इन्स्टोलमेन्ट्स (इएमआइ) का भुगतान करना आवश्यक है.। जह इएमआइ की मांग अनुसार, ग्राहक पूंजी या ब्याज का भुगतान करने में विफल जाता है, तब ऐसे ग्राहकों को ओवरड्यु / डीलीक्वन्ट / स्ट्रेस अकाउन्ट्स के रुप में माना जाता है।

लाइट, क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो को ऐसे डिफोल्ट ग्राहकों का डेटा प्रस्तुत करती है। क्रेडिट ब्यूरो डेटा में ओवरड्यु/डेलीक्वन्सी की घटना, क्रेडिट ब्यूरो डेटा पर ग्राहकों की शाख को नकारात्मक रुप से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से भविष्य में लोन्स प्राप्त करने के अवसरों में अवरोध पैदा होता है। वित्तीय संस्थाएं ऐसे ग्राहकों को जोखिमी ग्राहकों के रुप में ध्यान में लेती हैं।

- **स्पेश्यल मेन्शन अकाउन्ट (एसएमए)**

नियमनों अनुसार, वित्तीय संस्थाओं ने स्ट्रेस (तनाव) के प्रमाण के आधार पर फ्लेग लोन्स अकाउन्ट्स के रुप में मानना आवश्यक है। ऐसी किसी भी फ्लेगींग केटेगरी को स्पेश्यल मेन्शन अकाउन्ट्स कहा जाता है।

- **एसएमए केटेगरीज़ के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार है :**

रीवोल्वींग सुविधाओं के अलावा की लोन्स		**केश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट जैसी रीवोल्वींग सुविधाओं के प्रकार की लोन्स**	
एसएमए सब-केटेगरीज़	वर्गीकरण का आधार – पूंजी या ब्याज का भुगतान या ओवरड्यु की संपूर्ण या आंशिक अन्य कोई राशि	एसएमए सब-केटेगरीज़	वर्गीकरण का आधार - मंजूर की हुई लिमिट या विड्रो करने की शक्ति, जो किसी भी समयावधि में कम हो उसमें से अधिक राशि बकाया राशि के रुप में निरंतर रुप से रहे :
एसएमए-०	३० दिन तक	एसएमए-१	३० से अधिक दिन और ६० दिन तक
एसएमए-१	३० से अधिक दिन और ६० दिन तक	एसएमए-२	६० से अधिक दिन और ९० दिन तक
एसएमए-२	६० से अधिक दिन और ९० दिन तक		

- **स्पेश्यल मेन्शन अकाउन्ट (एसएमए) और नोन-पर्फोर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में ग्राहक अकाउन्ट का वर्गीकरण :**

जब लोन इन्स्टोलमेन्ट (पूंजी और/या ब्याज) का भुगतान ९० दिन से अधिक दिनों में न किया गया हो, तब अकाउन्ट को प्रवर्तमान आरबीआई परिपत्रों अनुसार नोन-पर्फोर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करना होगा। इस प्रकार, अकाउन्ट को मूल भुगतान

दिन से निरंतर डिफोल्ट के ९१वें दिन पर एनपीए के रूप में चिह्नित किया जायेगा ।

अकाउन्ट को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नीचे एक द्रष्टांतरूप उदाहरण दिया गया है :

यदि लोन का भुगतान ३१ मार्च, २०२२ हो और ३१ मार्च, २०२१ के दिन की प्रक्रिया के अंत से पहले यदि संपूर्ण बकाया राशि (पूंजी और ब्याज) प्राप्त न हो तब ३१ मार्च, २०२१ को ओवरड्यु दिन के रूप में मानना होगा ।

यदि अकाउन्ट, ओवरड्यु रहना चालू रहे, तब ३०वीं अप्रैल, २०२१ के दिन की प्रक्रिया के अंत तक अकाउन्ट को एसएमए-१ के रूप में चिह्नित करना होगा, जैसे कि, ३० दिन की समाप्ति तक निरंतर ओवरड्यु रहे । इस प्रकार, उस अकाउन्ट के लिए एसएमए-१ वर्गीकरण की दिनांक ३०वीं अप्रैल, २०२१ रहेगी ।

इसी प्रकार, यदि अकाउन्ट ओवरड्यु हो, तब ३०वीं मई, २०२१ के दिन की प्रक्रिया के अंत तक अकाउन्ट को एसएमए-२ के रूप में चिह्नित करना होगा और यदि वह ओवरड्यु रहना चालू रहे तब ९० दिनों की समाप्ति पर, यानी कि, २९ जून, २०२१ के दिन की प्रक्रिया के अंत तक अकाउन्ट को एनपीअे के रूप में वर्गीकृत करना होगा ।

- **एनपीए अकाउन्ट का नियमित अकाउन्ट में अपग्रेडेशन :**

एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए एक लोन अकाउन्ट को ब्याज की बकाया राशि और पूंजी के भुगतान पर ही मानक संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है ।